FORM No. III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

U/S 53, 88, 188 R.P.Act नं. 48 सन् 2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/3 प्रार्थकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित [illegible] 21/5 को प्रस्तुत हो। 21/5 प्रार्थकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण के चुकी है। अवकाश पर रहे हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 30/7 को प्रस्तुत हो।	
9.7.20 वकील वादी के निकट पर पत्रावली बिना पेशी पर ली गई। वकील वादी ने दरख्वास्त पेश कर निकट किया की इस लम्बित प्रकरण में कुछ सुनिवाई शेष होने से इस मामला बार पेश करना चाहते है इसलिए इस बार को छोड़ कर निर्धारित तारीख बार करवाना चाहते है वकील वादी के निकट पर उक्त दरख्वास्त स्वीकार की जाती है तथा वकील वादी के निकट पर उक्त शीर्षक बार छोड़ कर निर्धारित तारीख किया जाता है पत्रावली प्रतीक्षा शुमार हो सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	पहले दिनांक 9.7.20

सेवामें

श्रीमान सहायक कलक्टर S.D.O लोनावाला

वादीगण : बनाम प्रतिवादीगण :

सौंपारुद

उपरुद बंगारु

रु० मा. सं. 1200

सतीश पेंडी

307.200

वाद प्रतीक्षा धारा 138 N.I Act

व आदेश 23 नियम 1 C.P.C

(वाद को पुनः पेश करने की अनुमति के साथ विड्राल)

श्रीमान जी,

वादीगण की ओर से निम्न निवेदन है कि

1 यह है कि उपरोक्त मामला अदालत का सामने चाहु आपराधिक हत्या के विचाराधीन है जो अभियोजन की तरफ से विपक्ष है तथा किसी भी अभियोगी पक्षकार की तरफ नहीं हुई है।

(2) यह है कि वाद में पक्षकारों ने आपस में समझौता कर लिया है और हुए सारा नहीं रहा है इसलिए मेरे वाद में सारा रखते हुए मेरा वाद पेश करना आवश्यक है और मैं अदालत यह अभियोग-पत्र वाद को पुनः पेश करूं कि अनुमति के साथ विड्राल करते हुए अभियोग-पत्र पेश करूं।

अतः अभियोग-पत्र पेश का श्रीमान जी से निवेदन है कि वादीगण का अभियोग-पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पुनः पेश करने की अनुमति के साथ विड्राल पत्रिका स्वीकार करने का आदेश प्रदान करावें।

इति: दिनांक 9.7.20 स्वीकृतकर्ता 9.7.20